न्यायालय अपील प्राधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्याः 10 / 2023

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1– मदनगोपाल दवे पुत्र भवानी शंकर निवासी– गली नं. 4, वर्षा डेयरी के सामने, मानसागर, महामंदिर, जोधपुर		1– चन्द्रशेखर पुत्र मदनगोपाल दवे निवासी– गली नं. 4, वर्षा डेयरी के सामने, मानसागर, महामंदिर, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 व 2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.11.2022 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर उत्तर द्वारा प्रकरण संख्या 01 / 2017 मदन गोपाल बनाम चन्द्रशेखरमें पारित किया गया।

उपस्थितः–

1–अपीलार्थी अनुपस्थित।
2–प्रत्यर्थीपक्ष उपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी / प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 व 2010 में उपखण्ड अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2016 में बढोतरी करने बाबत प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर) द्वारा सुनवाई कर आदेश दिनांक 09.11.2022 को पारित किया गया, जिसमें अप्रार्थी के भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज (10 / 2023) रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थी पक्ष स्वयं कार्यालय उपस्थित होकर अपील के संबंध में सूचना प्राप्त की तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। अपीलार्थी दिनांक 19.06.2024 को उपस्थित होकर अपना पक्ष / बहस सुनाया एवं प्रत्यथी दिनांक 25.06.2024 को उपस्थित होकर अपना पक्ष / बहस सुनाया। इस प्रकार दोनो पक्षों की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में बतलाया कि प्रत्यथी उनका पुत्र हैं तथा अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर उत्तर) के समक्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2007 व 2010 के तहत उपखण्ड अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2016 में भरण पोषण राशि बढोतरी करने का आवेदन करने के उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नही कर विधिक भूल की है। बहस में यह भी कहा कि अपीलार्थी इतनी

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

वृद्ध अवस्था में स्वयं कार्य करने में व आय अर्जन करने में असक्षम है तथा पूर्व आदेश द्वारा निर्धारित भरण पोषण राशि 5000/-में गुजारा करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः अपील स्वीकर करते हुए भरण पोषण राशि में बढोतरी का आदेश प्रदान किया जाय व अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाय।

तत्पश्चात अप्रार्थी/प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में बतलाया कि अप्रार्थी/प्रत्यर्थी पूर्व में अपीलार्थी को एक मुश्त राशि 6,00,000/- रूपये दे चुका है तथा अप्रार्थी ने अपने वेतन स्टेटमेंट के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए प्रस्तुत लिखित बहस में अंकन होना बताया व अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाय।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील में मुख्य रूप से अधीनस्थ अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 09.11.2022 को अपास्त करते हुए भरण पोषण राशि में बढोतरी करने की प्रार्थना की। अतः अपीलार्थी/प्रार्थी की अपील को स्वीकार करते हुएं अपीलार्थी की भरण पोषण राशि 5000/- रूपये से बढ़ाकर 9000/- रूपये की जाती है तथा प्रत्येक माह की 05 तारीख को अपीलार्थी/प्रार्थी के बैंक खाते में जमा करवाने हेतु प्रत्यर्थी/अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है। साथ ही अधीनस्थ अधिकरण को यह आदेशित किया जाता है कि नई भरण पोषण राशि 9000/- का भुगतान अपीलार्थी/प्रार्थी को निर्धारित समय पर होना सुनिश्चित करे। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 24.07.2024 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)